



कार्यालय—प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव, जिला—मुंगेली (छ.ग)

Email : naveencollegejarhagaon@gmail.com

Website : www.ngcjarhagaon.com

पत्र क्र./113/स्था./अतिथि व्याख्याता/2026

जरहागांव, दिनांक— 21.01.2026

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर, अटलनगर, दिनांक 23.07.2025 एवं अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्र. ईएसटीबी-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर, दिनांक 23.07.2025 के परिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव, जिला—मुंगेली (छ.ग.) में निम्नलिखित विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक समस्त प्रमाण—पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 31.01.2026 को सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता —

- अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिये न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। विनियम 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

—: अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु रिक्त पद की जानकारी :-

क्र.	विषय का नाम	रिक्त सहायक प्राध्यापक पद
01	समाजशास्त्र	01
	कुल पद	01

टीप :- संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्त :-

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम फिल/पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- दिनांक 31.01.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
- अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 04.02.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल पर चरपा किया जावेगा। साथ ही महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
- गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 05.02.2026 से 07.02.2026 तक होगी।

क्रमशः पृ.क्र. 02 पर

23. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 09.02.2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की सूचना पटल में चस्पा किया जायेगा।
24. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
25. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
26. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
27. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30000/- प्रतिमाह अधिकतम)
ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंड लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35000/-प्रतिमाह अधिकतम)

28. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.) शा. उ.मा. शाला परिसर जरहागांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.) पिन 495330 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
29. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
30. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
31. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
32. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
33. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।
34. विज्ञापन के प्रकाशन में किसी प्रकार की लिपकीय त्रुटि आदि होने पर उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेज (यथा शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति 2024 एवं अन्य संदर्भित आदेश आदि) के प्रवधान लागू होंगे। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में प्राचार्य अथवा आवश्यक होने पर उच्च शिक्षा संचालनालय/विभाग द्वारा की गई व्याख्या/निर्णय अंतिम व प्रभावी होगा।



(डॉ. नंदिनी तिवारी)

Principal

Naveen Govt. College
Jarhagaon, Distt. Mungeli (C.G.)
जरहागांव, दिनांक- 27.01.2026

पृष्ठा. क्र./५५/स्था./अतिथि व्याख्याता/2026

- प्रतिलिपि :- (1) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
(2) अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
(3) प्राचार्य, अग्रणी महावि.-शास. जे.पी. मिश्र स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ।
(4) प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़ को सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु आग्रहपूर्वक।



Principal

Naveen Govt. College
Jarhagaon, Distt. Mungeli (C.G.)